



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 486]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 26, 2012/आश्विन 4, 1934

No. 486]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 26, 2012/ASVINA 4, 1934

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2012

सा.का.नि. 722(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण (समूह 'ग') भर्ती नियम, 1964 जहां तक उनका संबंध उदिभजालय सहायक, कनिष्ठ विज्ञान सहायक और कनिष्ठ गैलरी सहायक के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण में ज्येष्ठ परिरक्षण सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण, ज्येष्ठ परिरक्षण सहायक, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2012 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड, ग्रेड वेतन और वेतनमान.**—उक्त पदों संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ज्येष्ठ परिरक्षण सहायक	46* (2012) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1 (5200-20200रू.) + ग्रेड वेतन 2800रू.	अचयन	27 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार साधारण अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग के विज्ञापनानुसार होगी।	आवश्यक : 1. मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से वनस्पति विज्ञान में बी.एस. सी। 2. सरकारी विभागों, स्वायत्त संगठनों और मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों में पाठ्य नमूना के संग्रह और परिरक्षण में दो वर्ष का अनुभव। वांछनीय : व्यवस्थित वनस्पति विज्ञान का ज्ञान या क्षेत्र संग्रहण या उद्भिज्जालय पद्धति या किसी संग्रहालय के वनस्पति प्रदर्शों को क्रमांकित करने का ज्ञान और हिन्दी लिखने और पढ़ने की योग्यता। टिप्पण 1 : अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अर्हताओं में छूट दी जा सकती है। टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी

						<p>अर्हता(अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित शक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है ।</p>
--	--	--	--	--	--	--

<p>सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।</p> <p>(8)</p> <p>आयु : नहीं शैक्षणिक अर्हता : नहीं, किंतु मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10+2 पास अवश्य होना चाहिए ।</p>	<p>परिचीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।</p> <p>(9)</p> <p>सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष</p>	<p>भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली शक्तियों की प्रतिशतता</p> <p>(10)</p> <p>पचहत्तर प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ; और पच्चीस प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।</p>
--	--	---

<p>प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा।</p>	<p>यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना</p>	<p>भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।</p>
<p>(11)</p> <p>परिक्षण सहायक, वेतन बैंड-1 5200-20200 रु., + ग्रेड वेतन 2000 रु. में उस श्रेणी में दस वर्ष की नियमित सेवा सहित।</p> <p>टिप्पण 1 : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>टिप्पण 2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा</p>	<p>(12)</p> <p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. निदेशक, भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण, - अध्यक्ष ; 2. कार्यालय प्रधान, भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण - सदस्य ; 3. कार्यालय प्रधान, भारतीय प्राणिविज्ञान सर्वेक्षण - सदस्य । <p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. निदेशक, भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण, - अध्यक्ष ; 2. कार्यालय प्रधान, भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण - सदस्य ; 3. कार्यालय प्रधान, भारतीय प्राणिविज्ञान सर्वेक्षण - सदस्य । 	<p>(13)</p> <p>लागू नहीं होता</p>

की संगणना के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद या उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

3666 9 E/12-2

[फा. सं. 01-33/2011-सीएसबी]-

बी. एम. एस. राठोड़, संयुक्त सचिव (संरक्षण और सर्वेक्षण)

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS
NOTIFICATION

New Delhi, the 26th September, 2012

G.S.R. 722(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Botanical Survey of India (Group 'C') Recruitment Rules, 1964, insofar as they relate to the posts of Herbarium Assistant, Junior Scientific Assistant and Junior Gallery Assistant, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Preservation Assistant in the Ministry of Environment and Forests, Botanical Survey of India, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Environment and Forests, Botanical Survey of India, Senior Preservation Assistant, Group 'C' Post Recruitment Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.**—The number of said post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Savings.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale.	Whether selection post or non-selection post.
1 Senior Preservation Assistant.	2 46* (2012) *Subject to variation dependent on workload.	3 General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	4 Pay band - 1, Rs.5200-20200 plus grade pay - Rs.2800.	5 Non-selection.
Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.
6 Not exceeding 27 years (Relaxable for Government servants up to 40 years in the case of general candidates and up to 45 years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued	7 Essential: 1. B. Sc. with Botany from a recognised University. 2. Two years' experience in collection and preservation of plant specimens in Government Departments, Autonomous Organisations and recognised Universities. Desirable: Knowledge in systematic botany,	8 Age: No; Educational Qualifications: No, but must possess 10+2 from a recognised Board.	9 Two years for direct recruits.	10 Seventy-five per cent By direct recruitment; and twenty-five per cent by promotion failing which by direct recruitment.

38669/12-3

<p>by the Central Government from time to time).</p> <p>Note: The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.</p>	<p>knowledge of field collections or herbarium methodology or arranging botanical exhibits of a museum and ability to read and write in Hindi.</p> <p>Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of the candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of Staff Selection Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>			
--	--	--	--	--

In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
<p>11</p> <p>Preservation Assistant in pay band-1 of Rs. 5200-20200 plus grade pay of Rs. 2000 with ten years' regular service in the grade.</p> <p>Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p>	<p>12</p> <p>Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Director, Botanical Survey of India – Chairman; 2. Head of Office, Botanical Survey of India – Member; 3. Head of Office, Zoological Survey of India – Member; <p>Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Director, Botanical Survey of India – Chairman; 2. Head of Office, Botanical Survey of India – Member; 3. Head of Office, Zoological Survey of India – Member. 	<p>13</p> <p>Not applicable.</p>

Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any up-gradation.

[F. No. 01/33/2011-CSB]
B. M. S. RATHORE, Jt. Secy. (Conservation and Survey)